उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल

दिनांकः अप्रैल 25, 2012

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल में न्यायालय की चार मारुती इस्टीम कारों संख्या–यू.ए.04ई/2309, यू.ए. 04बी/3040, यू.ए.04बी/2309 एवं यू.ए.04बी/4444 जो न्यायालय परिसर में जहां हैं, जैसी हैं, की नीलामी दिनांक 15.05.2012 को दिन में 12:00 बजे न्यायालय परिसर में अधोहस्ताक्षरी/अधिकृत अधिकारी के समक्ष की जायेगी।

इच्छुक व्यक्ति/फर्म को नीलामी में भाग लेने हेतु जमानत के रूप में प्रत्येक वाहन के लिए अलग–अलग ₹5,000/– (पॉच हजार) रूपये मात्र की धनराशि प्रतिभूति के रूप में नकद जमा करनी होगी।

इच्छुक व्यक्ति/फर्म, निविदा की सभी शर्तों/नियमों को किसी भी कार्य दिवस में न्यायालय के नजारत अनुभाग से प्राप्त कर सकता है। विवरण उच्च न्यायालय की वैबसाइट *www.highcourtofuttarakhand.gov.in* में भी उपलब्ध है ।

ह0/–
महानिबन्धक
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय
नैनीताल

प्रतिलिपि निम्न को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने नोटिस बोर्ड पर इसे वृहद प्रचार हेतु चस्पा करें :–

1. जिला न्यायाधीश, नैनीताल।
2. आयुक्त, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. जिलासूचना अधिकारी, नैनीताल।
5. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नैनीताल।
6. न्यायालय के नोटिस बोर्ड एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा करने हेतु।

ह0/–
निबन्धक
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय
नैनीताल।

नियम एवं शर्तें

- *निविदा की नियम एवं शर्तों की प्रति दिनांक 15.05.2012 तक किसी भी कार्यदिवस को माननीय न्यायालय के नजारत अनुभाग से निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है।*

- *इच्छुक व्यक्ति/फर्म, नीलामी की जाने वाले वाहनों का अवलोकन दिनांक 11.05.2012 तक किसी भी कार्य दिवस में उच्च न्यायालय के नजारत अनुभाग में सम्पर्क करके कर सकते हैं। बोली बोलने वाले व्यक्ति/फर्म का स्वयं उत्तरदायित्व होगा कि बोली बोलने से पूर्व निलामी किये जाने वाले वाहनों को सम्यक् रूप से निरीक्षण/परीक्षण कर ले। निरीक्षण/परीक्षण का अर्थ वाहन को चलाकर दिखाना या चलाकर देखने देना, कदापि नहीं होगा।*

- *मारूती इस्टीम कार संख्या–यू.ए.04ई/2309 (मॉडल–2005), यू.ए.04बी/3040 (मॉडल–2004), यू.ए.04बी/2309 (मॉडल–2004) एवं यू.ए.04बी/4444 (मॉडल–2004) जो न्यायालय परिसर में जहां है, जैसी है, वैसी ही स्थिति में नीलाम किया जायेगा।*

- *इच्छुक व्यक्ति/फर्म को जमानत के रूप में प्रत्येक वाहन हेतू ₹5,000/– (पॉच हजार रुपये) की धनराशि न्यायालय के रोकड अनुभाग में दिनांक 15.05.2012 को 11:00 बजे तक नकद जमा करना अनिवार्य होगा। बिना जमानत धनराशि जमा कराए कोई भी व्यक्ति बोली में भाग नहीं ले सकेगा। निविदा अस्वीकृत होने पर उक्त व्यक्ति/फर्मों की जमानत धनराशि उसी दिन वापस कर दी जायेगी।*

- *इच्छुक व्यक्ति/फर्म को नियम एवं शर्तों की कॉपी एंव संलग्नक फॉम–1 को भरकर तथा यथास्थान हस्ताक्षर करके देना होगा।*

- *वाहनों को निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम मूल्य पर किसी भी दशा में नीलाम नहीं किया जायेगा।*
- *वाहनों का न्यूनतम नीलामी मूल्य निम्नवत निर्धारित हैं :–*

  क. यू.ए.04ई/2309 (मॉडल–2005) —— ₹60,000.00
  ख. यू.ए.04बी/3040 (मॉडल–2004) —— ₹52,000.00
  ग. यू.ए.04बी/2309 (मॉडल–2004) —— ₹51,000.00
  घ. यू.ए.04बी/4444 (मॉडल–2004) —— ₹50,000.00

- *वाहनों के लिए बोली दिनांक 15.05.2012 को 12:00 बजे समिति द्वारा तय स्थान पर एक–एक करके (वाहन–वार) की जायेगी। अनुपस्थित रहने वाले व्यक्ति/फर्म को बोली समाप्त होने के पश्चात कोई मौका नहीं दिया जायेगा।*

- समिति द्वारा स्वीकार की गयी उच्चतम निविदा तभी अन्तिम मानी जायेगी जब विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित कर ली जाये।

- अधिकतम बोलीदाता को नीलामी समाप्ति एवं न्यायालय द्वारा निविदा की धनराशि की स्वीकृती के उपरान्त तुरन्त न्यायालय के रोकड़ अनुभाग मे पूर्ण धनराशि नकद जमा करनी होगी, उसके उपरान्त ही वाहन को ले जाने दिया जायेगा।

- अधिकतम बोलीदाता द्वारा पूर्ण धनराशि जमा करने के उपरान्त उनकी धरोहर राशि वापस की जायेगी।

- वाहन को नीलामी स्वीकृति के 24 घंटे के भीतर ले जाना होगा अन्यथा उसकी बोली निरस्त कर दी जायेगी और उसके द्वारा जमा की गयी जमानत धनराशी जब्त कर ली जायेगी। तथा वाहन को पुनः नीलाम किया जायेगा।

- अधिकतम बोलीदाता को अपने पहचान–पत्र की फोटो कॉपी एवं एक पासपोर्ट साइज फोटो न्यायालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

- यदि माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड के संज्ञान में यह बात आती है कि निविदाकर्ताओं ने आपस में गिरोह बना लिया है या कोई सांठ–गांठ कर रखी है और वाहन का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में नीलामी निरस्त/स्थगित की जा सकती है।

- माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा स्वीकार की गयी उच्चतम नीलामी के बाद किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।

- नीलामी की तिथि में परिवर्तन करने तथा नीलामी की स्वीकृति को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड का होगा।

- नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी कानूनी वाद का अधिकार क्षेत्र नैनीताल स्थित सक्षम न्यायालय होगा।

ह0/–
महानिबन्धक
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय
नैनीताल

<u>**Form-1**</u>

- *व्यक्ति/फर्म का नाम एवं पूर्ण पता :*

- *व्यक्ति/फर्म का फोन एवं मोबाइल नम्बर :*

- *सुरक्षा जमानत धनराशि :*

स्थानः
दिनांकः

व्यक्ति/फर्म के हस्ताक्षर